A.5
1

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –88 / 2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
अस्त अली खां पुत्र अमरूद खां जाति कायमखानी मुसलमान,निवासी कुम्हारी दरवाजा रोड़, नागौर तहसील व जिला नागौर, राज0।		तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी ।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीण।

निर्णय दिनांक 09-01-2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 77 / 2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.11.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

राजपैरोकार ने प्रकरण में बहस सुने जाने से पूर्व निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की भू–अभिलेख निरीक्षक नागौर व पटवारी नागौर की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 77 / 2019 दर्ज किया गया एवं निर्णय दिनांक 15.10.2019 को पारित किया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में सहवन से प्रकरण संख्या 77 / 2019 के स्थान पर 87 / 2019 अंकित कर दिया एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 15.10.2019 को पारित किया गया परन्तु सहवन से निर्णय में दिनांक 30.10.2019 अंकित कर दिये जाने का कथन करते हुऐ निर्णय जैर अपील में प्रकरण संख्या 77 / 2019 एवं निर्णय दिनांक 15.10.2019 मानकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने उक्त संबंध में कोई विरोध नहीं होने का कथन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम पर प्रकरण संख्या 77 / 2019 अंकित है, अपीलान्ट का जारी नोटिस में भी प्रकरण संख्या 77 / 2019 अंकित है। फर्द अहकाम अनुसार 15.10.2019 का निर्णय पारित किया गया है एवं पृथक से टंकित निर्णय में निर्णय दिनांक 30.10.2019 अवश्य अंकित है, परन्तु उक्त टंकित निर्णय की अंतिम पंक्ति के अनुसार निर्णय दिनांक 15.10.2019 को पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में प्रकरण संख्या 77 / 2019 एवं निर्णय दिनांक 15.10.2019 जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। मियाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण हाजा में पेशी 19.08.2019 नियत की हुई थी उस दिन अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता तहसीलदार कार्यालय में गये व जबाब हेतु वांछित नकले उपलब्ध नहीं होने से अपीलान्ट को जबाब हेतु अवसर दिया जाकर आगे पेशी दिनांक 17.09.2019 को नीयत की गयी। दिनांक 17.09.2019 को अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता दस्तावेजात के साथ जबाब लेकर तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित हुए तो अहलकार ने बताया कि तहसीलदार जी आवश्यक कार्य से जयपुर पधारे हुऐ है फाईले उनके पास ही है इसलिए सभी फाईलों की आगे पेशी 15.11.2019 को दे दी आप भी नोट कर लो व उसी दिन जबाब पेश कर देना जिस पर

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता आश्वस्त हो गये व पेशी 15.11.2019 नोट कर ली। लेकिन हाल ही में समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई कि नागौर में 24 अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश तहसीलदार जी ने पारित किये है जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 6.11.2019 को ऐसी चर्चा सुनी व अधिवक्ता से सम्पर्क करके जानकारी करवाई तब पता चला कि इस प्रकरण में भी दी गई पेशी से पूर्व ही दिनांक 15.10.2019 की पेशी नियत करके बिना साक्ष्य सबूत व जबाब लिये फैसला कर दिया जिससे उसी दिन नकल का आवेदन पेश करवाया व प्रमाणित प्रतियां दिनांक 18.11.2019 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम पूरी जानकारी हुई जिससे तुरन्त आज ही मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुऐ न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपील की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर ने अपीलांट के विरूद्व एक मिथ्या रिपोर्ट खसरा नम्बर 361 / 853 वाके नागौर पर 3250 वर्गफुट में कच्चा मकान संवत 2076 में बना कर अतिक्रमण करने की तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार नागौर के न्यायालय में उक्त प्रकरण दर्ज होकर अपीलांट को तलब किया गया, जिस पर दिनांक 11.7.2019 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व साथ में एक आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि गैर सायल / अपीलांट को साक्ष्य सबूत व जबावदेही हेतु विधिवत अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा बार–बार तहसील कार्यालय में चक्कर काटने के बावजूद अपीलांट को जानबूझ कर सुनवाई व साक्ष्य, जवाबदेही से वंचित रखा व हर बार पेशी पर जाने पर यही जवाब मिलता कि सभी पत्रावलियां एक ही बस्ते में है ऐसी करीब 80 पत्रावलीयां है आपको साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का पूर्ण अवसर दिया जाने के बाद सभी में एक साथ निर्णय होगा व दिनांक 17.9.2019 को अपीलांट व उसके अधिवक्ता तहसील कार्यालय में जाकर जवाब पेश करने का निवेदन किया लेकिन उस दिन पीठासीन अधिकारी जयपुर पधारे होने का कह कर पेशी दिनांक 15.11.2019 की नोट करवा दी लेकिन बाद में आदेशिका में दर्ज की उस समय पीठासीन अधिकारी जयपुर पधारे होने की सील लगा कर पेशी दिनांक 15.10.2019 देने का अंकन कर दिया। जबकि अपीलांट व उसके वकील को पेशी दिनांक 15.11.2019 को नोट करवाई गई व अपीलांट आश्वस्त हो गया कि दिनांक 15.11.2019 को जवाब व साक्ष्य पेश कर देगे अधिनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 15.11.2019 की जगह दिनांक 15.10.2019 को लिख कर अपीलांट की पीठ पीछे उसे साक्ष्य व जवाब का अवसर दिये बिना व सुनवाई किये बिना आदेश में अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं करने का अंकन करते हुए व अपीलांट / गैर सायल के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही करते हुए बाले बाले अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने का विधि विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

अपीलांट को बतायी गयी नियत पेशी से पूर्व पेशी निश्चित करके अपीलांट की जवाबदेही बंद किये बिना ही व अपीलांट की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित होने के बावजूद अपीलांट की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित होने के बावजूद अपीलांट के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही गलत रूप से अमल में लाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही के आधार पर निर्णयजैर अपील पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त / निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 361 / 853 कस्बा नागौर की किस्म गैर मुमकिन आबादी की है जो निवास स्थान या वास के लिए है जिसके खातेदारी नगरपालिका / नगर परिषद नागौर है ऐसे में आबादी भूमि में किसी काबिज व्यक्ति विधिनुसार धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट होकर कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है विधि द्वारा बाधित है व उक्त जमीन रेकर्ड में नगरपालिका मण्डल नागौर के नाम से आबादी दर्ज है ऐसे में सम्पूर्ण कार्यवाही व निर्णय जैर अपील क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया होने से भी विधि विरूद्व है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

A5
3

खसरा नम्बर 361/853 कस्बा नागौर की किस्म गैर मुमकिन आबादी की है जिस पर अपीलांट का कोई नया कब्जा नहीं है यह जायगा पहले मो. शफी की थी जिसने यह जायगा दिनांक 7.9.1978 मो सफी वल्द अब्दुल करीम फकीर हिण्डा वाला निवासी जयपुर हाल निवासी नकाश गेट नागौर को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था एवं शफी मोहम्मद पुत्र अब्दुल करीन ने उक्त जायगा दिनांक 9.3.1989 को मुझ अपीलांट को बेचान करके कब्जा सुपुर्द किया था उक्त दोनो बेचानो की लिखापढी साथ पेश है। अपीलांट बहुत बहुत ही गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिसके पूर्वजो के समय का कब्जा व पुराना रहवासी झुंपा रहता चला आया है अपीलांट ने अपनी जायगा के नियमन हेतु नगरपालिका मण्डल नागौर के समक्ष दिनांक 18.02.2010 को आवेदन भी पेश किया व रसीद प्राप्त की व नगरपालिका मण्डल नागौर को अपीलांट के पुराने कब्जे की जानकारी रही है व नगरपालिका ने इस बाबत राशि प्राप्त करके रसीद भी जारी कर रखी है इतना ही नहीं सरकार द्वारा करवाये गये भवन सर्वे में भी अपीलांट का उस समय का भवन होना व अपीलांट से 30 रूपये लेकर भवन सर्वे की प्लेट नंबर 218 व मकान नम्बर 3/178 की रसीद दिनांक 24.10.16 को दी गयी जो सम्पति नागौर की आबादी के वार्ड न. 8 कुम्हारी दरवाजा एरिया में होने का अंकन है एवं अपीलांट के राष्ट्रीय जनसंख्या गणना रजिस्टर में भी अपीलांट उक्त जायगा का निवासी होना साबित है एवं अपीलांट का उक्त जायगा में विधिवत विधुत कनैक्शन दिया गया था व अपीलांट का भारत सरकार के समय समय पर चलाये जा रहे उपक्रमो के तहत अपीलांट का राशन कार्ड, आधार कार्ड, एवं श्रमिक पंजियन कार्ड भी इसी पते के बने हुए है ऐसे में यह कतई नहीं माना जा सकता है कि खसरा नंबर 361/853 मौजा नागौर पर अपीलांट का नया या संवत 2076 का कब्जा हो। पटवारी ने सरकार मिथ्या रिपोर्ट नया कब्जा बताकर पेश की व ऐसे प्रकरण में न तो अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया न ही पटवारी के बयान लिये न पटवारी से जिरह का अवसर दिया ऐसा जानबूझ कर किया गया था क्योंकि यदि अपीलांट को पूर्ण अवसर दिया जाता तो तहसीलदार को यह जानकारी थी कि वास्तविक स्थिति पत्रावली पर आ जायेगी व बेदखली का निर्णय पारित नहीं हो सकेगा, इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांट की पीठ पीछे इस तरह का विधि विरूद्व निर्णय आबादी भूमि होते हुए भी पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील विधि विरूद्व व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सरकारी कार्यालय एवं आवास हेतु आरक्षित रखी गई राजकीय भूमि है। उक्त भूमि के निस्तारण का अधिकार जिला कलक्टर को है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमन के संबंध में नगर पालिका के समक्ष कार्यवाही करना या अन्य कार्यवाही करने आधार अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। वादग्रस्त भूमि का अपीलान्ट के पक्ष में नगर पालिका से किसी भी प्रकार से नियमन नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील द्वारा वादग्रस्त भूमि से बेदखली एवं जुर्माना का पारित आदेश उचित होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 361/853 रकबा 40 बीघा सरकार आवास भवन हेतु (आबादी) की 3250 वर्गफुट भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करने के संबंध में पटवारी नागौर तथा भू अभिलेख निरीक्षक नागौर की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 13.06.2019 को प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, जिस पर तारीख पेशी दिनांक 11.07.2019 को अपीलान्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर सबूत पेश करने हेतु अवसर चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19.08.2019 को नियत की गई। तारीख पेशी 19.08.2019 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा जिस पर तारीख पेशी 17.09.2019 नियत की गई। तारीख पेशी 17.09.2019 को तहसीलदार नागौर जयपुर भ्रमण पर होने से तारीख पेशी 15.10.2019 नियत की गई। दिनांक 15.10.2019 को भी अपीलान्ट के अनुपस्थित

Scanned by CamScanner

A5
4

रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलान्ट साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिस पर अधिनरथ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि सरकारी कार्यालय एवं आवास हेतु आरक्षित रखी गई है, जिसके निस्तारण का अधिकार जिला कलक्टर को रखा गया है। अपीलान्ट द्वारा नगर पालिका के समक्ष नियमन के संबंध में अथवा अन्य कोई कार्यवाही से अथवा वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट द्वारा विद्युत कनेक्शन ले लेने, जनसंख्या रजिस्टर में अपीलान्ट वादग्रस्त जायगा का निवासी होना आदि से अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर मालिकाना हक नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि का नगर पालिका द्वारा अपीलान्ट के पक्ष नियमन करने की भी कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। वकील अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर वैध रूप में मालिकाना हक के संबंध में कोई ठोस प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्वक नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 16:58:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: